



दिनांक – 20.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक की मार्कशीट, आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त गमछा बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 17.07.2026 को वादी मुकदमा बृजपाल पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम कुतुबपुर, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.निककी पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम ढीक्का थाना सरसावा, 2.राहुल पुत्र संजू निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा, 3.मन्नू पुत्र संजय निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा व 4. विशाल पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा के द्वारा वादी के पुत्र विपिन की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 20.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा हत्या का घटना का अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण 1. मोबिन पुत्र मौहम्मद आबिद निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2. रहमान पुत्र निजामुद्दीन निवासी चंदेरी जिला शामली** को नकुड से शहाजहांपुर जाने वाले रास्ते पर टाबर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त मोबिन ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और विपिन दोनों एक ही गाँव के निवासी हैं और आपस में दोस्त थे। मैं विपिन को अपनी रिश्तेदारी में लेकर जाता था। ग्राम जदहेड़ी जिला शामली में मेरी मौसी रहती है वहाँ भी मैं विपिन को लेकर गया था वहाँ पर मेरी मौसी की लड़की से विपिन की दोस्ती हो गयी और दोनों आपस में बात करने लगे थे मुझे यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं भी उससे बात करता था और उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वह मेरे भाई की रिश्ते में साली भी लगती है मैंने विपिन को कई बार उससे बात न करने को कहा लेकिन विपिन मुझे तो मना कर देता था पर चोरी से लगातार बात करता था। फिर मैंने विपिन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनायी और विपिन की हत्या करने के लिए अपने रिश्तेदार रहमान निवासी जंदहेड़ी जिला शामली को अपने साथ ले लिया। योजना के तहत दिनांक 17.07.2026 को मैं और रहमान दोनों जंदहेड़ी जिला शामली से कुतुबपुर चले रास्ते में मैंने विपिन को फोन करके नशा करने के बहाने से बुला लिया विपिन हमें कुतुबपुर में मिला वहाँ से हम तीनों एक मोटर साइकिल पर बैठकर जंगल में एक गन्ने के खेत में शीशम के पेड़ के नीचे बैठ गए और वही पर हम तीनों ने नशा किया नशा करने के बाद मैंने विपिन से कहा कि तू मेरे भाई की साली से बात करना छोड़ दे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। विपिन ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ गाली गलोच करने लगा तो मुझे गुस्सा

आ गया और मैंने अपने गमछे से विपिन का गला दबा दिया । विपिन हाथ पैर मारने और छटपटाने लगा तो रहमान ने उसके पैर पकड़ लिए और मैंने गमछे और हाथ से गला दबाकर विपिन की हत्या कर दी और विपिन को वहीं छोड़कर हम दोनों भाग गए भागते समय हमने विपिन का मोबाइल व अन्य सामान रास्ते में फेंक दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोबिन पुत्र मौहम्मद आबिद निवासी कुतुबपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. रहमान पुत्र निजामुद्दीन निवासी चंदेरी जिला शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मार्कशीट
- 01 आधार कार्ड
- 01 गमछा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार सरसावा सहारनपुर ।
2. उ०नि० श्री देवेन्द्रपाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. हे०का० 24 सुनील कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
4. हे०का० 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा सहारनपुर ।
5. हे०का० 599 प्रदीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।
6. हे०का० 1062 अमित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 20.07.2026

!! सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा आगामी कांवड यात्रा-2026 के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर शातिर अपराधियों के विरुद्ध एक दिवसीय कार्यवाही में कुल 21 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री व अवैध शराब की तस्करी व बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.07.2026 को विशेष अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

एनडीपीएस एक्ट के तहत 04 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक, एवं कुल 328 ग्राम चरस (103 ग्राम, 115 ग्राम व 110 ग्राम अवैध चरस) बरामद

1. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 रवि कुमार द्वारा मय फोर्स के **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त फैजान पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को गुमटी से महेश्वरी को जाने वाले रास्ते पर मरकज के पास कच्ची चकरोड पर रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-243/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 सुखबीर सिंह द्वारा मय फोर्स के **03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1.कुलदीप पुत्र चरणदास निवासी मायापुरी कालोनी कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा 2.दिवाकर उर्फ राहुल पुत्र अशोक कुमार निवासी सुन्दरविहार कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा 3.करन पुत्र सत्यनाराण निवासी बैंक कालोनी कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा** को चिलकाना गन्देवड मार्ग पर बिजलीघर के पास कच्ची सडक पर 200 मीटर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कुलदीप के कब्जे से 103 ग्राम, अभि0 राहुल उर्फ दिवाकर के कब्जे से 115 ग्राम एवं अभियुक्त करन के कब्जे से 110 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-246/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के तहत 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 104 फ्रूटी देशी शराब (यूपी मार्का) एवं 08 बोतल देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

1. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 रोहताश कुमार द्वारा मय फोर्स के 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1.मुनव्वर पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2. अरशाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को शाहजहाँपुर रोड से घोडापीपली मार्ग से बायी ओर चकरोड पर 30-35 कदम खेतों की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 04-04 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-244/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा मय फोर्स के 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1.सीटू सैनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2.रीनू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम फिरोजाबाद रोड से ग्राम पाजबाँगर को जाने वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 24-24 फ्रूटी महबूबा देशी शराब उत्तरप्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-240/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 19.07.2026 को म0उ0नि0 अर्चना द्वारा मय फोर्स के 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 1.अंकित सैनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2.मुस्तफा पुत्र शेरू निवासी ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम फिरोजाबाद रोड से ग्राम पाजबाँगर को जाने वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 26-24 फ्रूटी महबूबा देशी शराब उत्तरप्रदेश मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-245/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

आयुध अधिनियम के तहत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 नाजायज चाकू बरामद

1. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 अंकुर चौधरी द्वारा मय फोर्स के 01 शातिर अभियुक्त समरयाब पुत्र जमील निवासी ग्राम बरहमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को सीकरी कंला से आम के बाग के बराबर से जाने वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-241/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह द्वारा मय फोर्स के 02 शातिर अभियुक्त 1.वकील पुत्र नादिर निवासी मौहल्ला गढी सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2.शौकीन पुत्र नसीम निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दुमझेडा रोड से नल्हेडा रोड पर 100 मी0 नल्हेडा की और आम के पेड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुए।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-242/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया।।

मिशन शक्ति एण्टीरोमियो टीम द्वारा कृत कार्यवाही - महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.07.2026 को म0उ0नि0 सुमन सिंह द्वारा मय एण्टीरोमियो टीम के 04 मजदूर 1. सोनित पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष 2. अशोक पुत्र पालेराम निवासी भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर उम्र करीब 31 वर्ष 3. अलबाग पुत्र सत्तार निवासी सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष 4. गोविंद पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को सुल्तानपुर से फिरोजाबाद सड़क से ग्राम अब्दुल्लापुर आहड़ी को जाने वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण रास्ते पर आने जाने वाली महिलाओं पर फब्तियां एवं अश्लील कमेंट कस रहे थे। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-239/2026 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही - शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.07.2026 को उ0नि0 नरेन्द्र कुमार सोलंकी द्वारा मय फोर्स के दौराने गस्त सार्वजनिक स्थान पर आपस में आमदा फसाद होकर शान्ति व्यवस्था भंग कर रहे 04 अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र सलीम निवासी शाहपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2. दिलशाद पुत्र मुमताज निवासी नजीबपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 3. विषराम पुत्र मुमताज निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 4. रिषिपाल पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को बस स्टैंड चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. फैजान पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. कुलदीप पुत्र चरणदास निवासी मायापुरी कालोनी कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा
3. दिवाकर उर्फ राहुल पुत्र अशोक कुमार निवासी सुन्दरविहार कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा
4. करन पुत्र सत्यनाराण निवासी बैंक कालोनी कासेपुर थाना गाधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा
5. मुनव्वर पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. अरशाद पुत्र याकूब निवासी ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. सीटू सैनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
8. रीनू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
9. अंकित सैनी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम दानतपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

10. मुस्तफा पुत्र शेरू निवासी ग्राम भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
11. समरयाब पुत्र जमील निवासी ग्राम बरहमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
12. वकील पुत्र नादिर निवासी मौहल्ला गढी सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
13. शौकीन पुत्र नसीम निवासी दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
14. सोनित पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
15. अशोक पुत्र पालेराम निवासी भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
16. अलबाग पुत्र सत्तार निवासी सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
17. गोविंद पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
18. नसीम पुत्र सलीम निवासी शाहपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
19. दिलशाद पुत्र मुमताज निवासी नजीबपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
20. विषराम पुत्र मुमताज निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
21. रिषिपाल पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फैजान उर्फ रीठा का आपराधिक इतिहास

- (i) मु0अ0सं0- 323/2018 धारा- 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना
- (ii) मु0अ0सं0-519/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना
- (iii) मु0अ0सं0- 488/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना
- (iv) मु0अ0सं0 190/2021 धारा 4/25 आयुध अधि थाना चिलकाना
- (v) मु0अ0सं0- 191/2021 धारा 10 गुंडाएक्ट थाना चिलकाना
- (vi) मु0अ0सं0 359/2021 धारा- 379, 411 भादवि थाना चिलकाना
- (vii) मु0अ0सं0- 360/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना
- (viii) मु0अ0सं0- 439/2023 धारा- 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली देहात

अभियुक्त शौकीन का आपराधिक इतिहास

- (i) मु0अ0सं0- 382/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना
- (ii) मु0अ0सं0-236/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना
- (iii) मु0अ0सं0- 49/2025 धारा- 309(4), 317(2) बीएनएस थाना चिलकाना

अभियुक्त अरशद/अरशाद का आपराधिक इतिहास

- (i) मु0अ0सं0- 368/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना (चिलकाना)
- (ii) मु0अ0सं0- 395/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना (कोतवाली देहात)

अभियुक्त समरयाब का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0- 208/26 धारा-63,72 आबकारी अधि0 थाना सरसावा

अभियुक्त वकील का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-273/2024 धारा 8,21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 रोहताश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
5. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
7. म0उ0नि0 अर्चना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
8. म0उ0नि0 सुमन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
9. है0का0 880 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
10. है0का0 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
11. है0का0 157 सन्दीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
12. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
13. का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
14. का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
15. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
16. का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 20.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 19.07.2026 को वादी विकास पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी नवरंगपुर थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा जिला महिला चिकित्सालय से वादी की दूकान से ग्राहक की मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP 11AX 5945 स्पलेण्डर प्लस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 181/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वाहन चोर अभियुक्त विकास उर्फ बौना पुत्र रामकला निवासी कांशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास उर्फ बौना पुत्र रामकला निवासी कांशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

अभियुक्त विकास उर्फ बौना का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी, स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 334/22 धारा 307/34/504/506 भादवि थाना को0देहात, स0पुर
- 3- मु0अ0सं0 181/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी, स0पुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0नं0- UP 11AX 5945

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवराज तोमर, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. रि0कां0 1051 रवि, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. रि0कां0 1038 रोबिन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



दिनांक- 20.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 07 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान दो अलग-अलग प्रकरणों में 07 अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र रविन्द्र निवासी हसनपुर लौहारी थाना थानाभवन शामली जनपद शामली, 2. दीपक पुत्र बाबूराम निवासी मो0 इकराम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल निवासी यशपाल सिंह के किराये का मकान ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर, 3. साहिल पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम गुनासा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, 4. युवराज चाना पुत्र प्रदीप चाना निवासी न्यू पटेल नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर, 5. राघव ढींगरा पुत्र मनोज ढींगरा निवासी कलिंगा विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 6. खुशधीर पुत्र संजय धीर निवासी न्यू शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 7. अजय राणा पुत्र कपिल राणा निवासी मायापुरी कालोनी नियर निवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएनएस की चालानी कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सागर पुत्र रविन्द्र निवासी हसनपुर लौहारी थाना थानाभवन शामली जनपद शामली
2. दीपक पुत्र बाबूराम निवासी मो0 इकराम थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल निवासी यशपाल सिंह के किराये का मकान ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. साहिल पुत्र चन्द्र निवासी ग्राम गुनासा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. युवराज चाना पुत्र प्रदीप चाना निवासी न्यू पटेल नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर
5. राघव ढींगरा पुत्र मनोज ढींगरा निवासी कलिंगा विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. खुशधीर पुत्र संजय धीर निवासी न्यू शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. अजय राणा पुत्र कपिल राणा निवासी मायापुरी कालोनी नियर निवादा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 649 मनवीर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. रि0कां0 1037 रोहन, थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर



दिनांक- 20.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अस्पताल खोलने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये हड़पने के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 22.08.2025 को वादी श्री श्यामलाल पुत्र दर्शनलाल निवासी ग्राम चौली थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी 1.डा0 नितिन पुत्र रविन्द्र, 2. अन्नू पत्नी डा0 नितिन निवासी गण ग्राम भूपगढ़ी थाना जानी जिला मेरठ व 3.मागेराम पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम मंझेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा मिर्जापुर में अस्पताल खोलने के नाम पर साझीदार बन कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर व धोखेबाजी कर वादी से कुल 39,15,829/- रुपये ले लेने तथा वापस न देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 148/25 धारा 318(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **02 वांछित अभियुक्तगण** 1. डा0 नितिन पुत्र रविन्द्र ग्राम भूपगढ़ी थाना जानी जनपद मेरठ को स्पोर्ट कालेज जाटोवाला के पास से गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 20.07.2026 को महिला अभियुक्ता 2. अन्नू पत्नि डा0 नितिन निवासी ग्राम भूपगढ़ी थाना जानी जनपद मेरठ को बादशाहीबाग बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. डा0 नितिन पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम भूपगढ़ी थाना जानी जिला मेरठ
2. अन्नू पत्नी डा0 नितिन निवासी ग्राम भूपगढ़ी थाना जानी जिला मेरठ

अभियुक्त डा0 नितिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0स0 294/22 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री बाकेलाल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का0 1666 पंकज कुमार मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. म0का0 1524 सोनिका थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. म0का0 1514 संगीता रानी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. अंकुश कालड़ा पुत्र अनिल कालड़ा निवासी D-14 नुमाईश कैम्प निकट गुरुद्वारा थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० – 1343/25 धारा – 125 (3) सी०आर०पी०सी०/ 144(3) बी०एन०एस०एस चालानी थाना सदर बाजार(मा० न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज सहारनपुर) नियत दिनांक 20.07.26 में व **2. सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी गढी मलूक थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० – 1604/24 धारा – 381/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर चालानी (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) नियत दिनांक 25.07.2026 में कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अंकुश कालड़ा पुत्र अनिल कालड़ा निवासी D-14 नुमाईश कैम्प निकट गुरुद्वारा थाना कोतवाली नगर, स०पुर
2. सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी गढी मलूक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री शौकीन खान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. रि०का० 1302 गौरव कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. रि०का० 1347 जयवीर सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक- 20.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत

02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **02 अभियुक्तगण 1. सौरभ पुत्र सोनी लाल निवासी गढी मलूक न0 01 नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 2. घनश्याम पुत्र सोनी लाल निवासी गढी मलूक न0 01 नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** दोनों आपस में सगे भाई हैं जो पैतृक सम्पत्ति को लेकर सड़क पर सरेराह लड-झगड़कर आमदा फसाद हो रहे थे, को कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत नुमाईश कैम्प से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सौरभ पुत्र सोनी लाल निवासी गढी मलूक न0- 01 नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. घनश्याम पुत्र सोनी लाल निवासी गढी मलूक न0- 01 नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 380 आजाद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1288 राजू थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20-07-2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त मोनू पुत्र रामस्वरूप निवासी बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सख्या 4330/25 व मु0अ0सं0 15/2011 धारा 498ए/323/504/506 भादवि चालानी थाना बेहट जिला सहारनपुर (मा0 न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर) नियत दिनांक 29.09.2026 में ग्राम बुड्ढाखेडा पुण्डीर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मोनू पुत्र रामस्वरूप निवासी बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-07-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत 05

अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 20.07.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **05 अभियुक्तगण** 1. पप्पू पुत्र शंकर नि0 ग्राम भैसराऊ थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 2. गौरव पुत्र इश्क सिंह नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 3. सन्नी पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम बेहडा खुर्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर, 4. रजनीश पुत्र बंसी नि0 ग्राम बेहडा कला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर व 5. अक्षय पुत्र रामदास नि0 ग्राम बेहडा कला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना के दृष्टिगत थाना फतेहपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. पप्पू पुत्र शंकर नि0 ग्राम भैसराऊ थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. गौरव पुत्र इश्क सिंह नि0 ग्राम बिशनपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. सन्नी पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम बेहडा खुर्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. रजनीश पुत्र बंसी नि0 ग्राम बेहडा कला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. अक्षय पुत्र रामदास नि0 ग्राम बेहडा कला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0म0का0 831 शुभांगी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. रि0का0 780 आयुष कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. रि0का0 798 जतिन कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 19.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना बडगांव साइबर हैल्पडैस्क टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से ठगी 35,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:- दिनांक 19.06.2026 को आवेदक श्री पीडित गौरव पुत्र भगवान निवासी बडगांव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा थाना बडगांव उपस्थित आकर बताया कि आनलाइन सामान खरीदने के नाम पर कुल 35,000/- रुपये की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में शिकायत संख्या-33106260143301 पंजीकृत करायी गयी थी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर(नोडल अधिकारी (साइबर अपराध/ एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव साइबर हैल्पडैस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित गौरव पुत्र भगवान निवासी बडगांव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की आनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 35,000/- हजार रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। ठगी गयी शतप्रतिशत धनराशि वापस खाते में पाकर पीडित द्वारा सहारनपुर पुलिस व थाना बडगाँव साइबर हैल्प डैस्क टीम का आभार प्रकट किया गया।

थाना बडगांव साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. का0 2373 आकाश गौतम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 248 अंकित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 1091 अनुज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6. रि0म0का0 कामीनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
7. रि0म0का0 कनिका थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
8. रि0म0का0 ज्योति थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 20.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत

01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त शाहरुख पुत्र अल्ताफ निवासी 62 फुटा रोड हबीबगढ़ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को बीच सड़क पर लड़ाई झगडा तथा गाली गलौच करने से रोका गया तो नही माना जिसको कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत नवाबगंज चौक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र अल्ताफ निवासी 62 फुटा रोड हबीबगढ़ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का0 1468 धर्मेन्द्र राणा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1295 विजय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 20.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर/ नशा
तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 02 किलो 700 ग्राम तांबे का तार, 200
ग्राम अवैध चरस, तीन आधार कार्ड, 3670/- रुपये नकद बरामद व 01 मोटरसाइकिल HF
डीलक्स सीज

घटनाओं का विवरण:-

1. दिनांक 15.6.2026 को वादी वसीम अब्बास नकवी पुत्र तहजोब हसन नि० थीतकी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात अभि० द्वारा वादी की आरा मशीन में खड़े ट्रैक्टर के बैटरे के अल्टीनेटर को फाड़कर कापर निकाल लेना व बिजली का आरा व चाबी पाना चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर **मु०अ०सं० 437/26 धारा 305(ए) बी.एन.एस** पंजीकृत कराया गया
2. दिनांक 08.07.2026 को वादी श्री संजय कुमार पुत्र जयकुमार नि० ग्राम चन्देना कोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात द्वारा वादी व व अन्य व्यक्तियों के ट्यूबवेल तार चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर **मु०अ०सं० 499/26 धारा 303(2) बी.एन.एस** पंजीकृत कराया गया
3. दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री विपिन भारती पुत्र दीपचन्द नि० मौ० कायस्थवाडा थाना देवबन्द सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की फैक्ट्री से कटर की मोटर चोरी कर लेना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर **मु०अ०सं० 507/26 धारा 305(ए) बी.एन.एस** पंजीकृत कराया गया।
4. दिनांक 11.07.2026 को वादी श्री विपिन भारती पुत्र दीपचन्द नि० मौ० कायस्थवाडा थाना देवबन्द सहारनपुर की दाखिला तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के साथ मारपीट करते हुए की फैक्ट्री से एक अल्टीनेटर 05 किलो वाट की वायरिंग अल्टीनेटर डीवीआर एलईडी व इन्वर्टर बैटरा चोरी कर लेना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर **मु०अ०सं० 511/26 धारा 303(ए)/331(4)/115(2) बी.एन.एस** पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर चोर/नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. रिजवान पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला कोल्हा बस्ती क्रस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर, 2. बाबर पुत्र बदर आलम निवासी मोहल्ला एचएवी इंटर कालिज पक्का बाग क्रस्बा व थाना देवबंद जनपद सहारनपुर व 3. कृष्णपाल उर्फ मिंटू पुत्र पूरण सिंह निवासी बलजीत कॉलोनी मोहल्ला लहसवाडा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर को खेत ग्राम मकबरा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 02 किलो 700 ग्राम तांबे का तार, 200 ग्राम अवैध चरस, तीन आधार कार्ड, 3670/- रुपये नकद बरामद व 01 मोटरसाइकिल HF डीलक्स सीज किया गया। बरामदगी

के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अवैध चरस की बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 530/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं तथा नशीला पदार्थ को बेचकर अपनी नशे की जरूरतों को भी पूरा कर लेते हैं। चोरी किये गये सामान को राह चलते कबाड़ियों को बेच देते हैं। इससे हम लोगो की अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. रिजवान पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला कोल्हा बस्ती कस्बा व थाना देवबंद
2. बाबर पुत्र बदर आलम निवासी मोहल्ला एचएवी इंटर कालिज पक्का बाग कस्बा व थाना देवबंद सहारनपुर
3. कृष्णपाल उर्फ मिंटू पुत्र पूरण सिंह निवासी बलजीत कॉलोनी मोहल्ला लहसवाडा थाना देवबंद जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 200 ग्राम चरस नाजायज
- तीन आधार कार्ड
- 2.7 कि0ग्रा0 तांबे का तार
- 3670 रु0 नगद
- एक अदद पंखा
- मो0 सा0 UP11BS9011 सीज शुदा

अभियुक्त रिजवान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 499/26 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 507/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 511/26 धारा 303(ए)/331(4)/115(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 437/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 530/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

अभियुक्त बाबर का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 499/26 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 507/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 511/26 धारा 303(ए)/331(4)/115(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 437/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 530/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 529/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 821/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 38/24 धारा 414 भादवि 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर

9. मु0अ0सं0- 399/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 542/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 334/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 336/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर

अभियुक्त कृष्णपाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 499/26 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 507/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 511/26 धारा 303(ए)/331(4)/115(2) बी.एन.एस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 437/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 530/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 710/23 धारा 380/411/457 भादवि एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 60/24 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 783/25 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री डैनी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
4. है0का0 1289 विकास पंवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
5. रि0का0 693 आकाश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
6. हे0का0 947 राशिद हसन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।
7. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ।